1117

पत्र संख्या –वित्त-2/VIII-02-14-2020/ 1405

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

प्रेषक,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण)
बिहार, पटना

सेवा में,

सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक
(पुलिस मुख्यालय को छोड़कर)
सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक,(रेल, बि0वि0स0पु0 एवं ईकाई सहित)
प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर,/सिमुलतल्ला/डुमरांव
पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक–04/12/2023

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर,2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के संबंध में।**

प्रसंगः– गृह विभाग(आरक्षी शाखा) का ज्ञापांक–14808 दिनांक–16.11.2023 सहपठित वित्त विभाग का ज्ञापांक–वि0(27)पे0को0(भ0नि0ब्याज)–20/2021–1091 दि0–26.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1 प्रतिशत लागू किया गया है। इस संदर्भ में पुनः केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1 प्रतिशत लागू करने का निर्णय है।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करते हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

4.12.23

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(निरीक्षण)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण), बिहार, पटना एवं आई0टी0 मेनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

संचिका संख्या-वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-__________/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर,2023 से 31 दिसम्बर,2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-746(पें0)/वि0, दिनांक 24.07.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प- एफ संख्या-5(3)-बी(पी.डी.)/2023 दिनांक 04.10.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

(3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

(4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(सं0) ।

..........2

ज्ञापांक-वि0(27)पे0को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-__________/वि0, पटना,दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(सं0) ।

ज्ञापांक-वि0(27)पे0को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-109(90)/वि0, पटना,दिनांक 26-10-

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(सं0) ।
20.10.23

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांकः– 4/स्था0मु0–10–01/2023 गृ0आ0 14808/ पटना, दिनांकः– 16/11/2023

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.11.23
(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।